

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of ----- **SHARMA** -----Magistrate----- **First**----- Class
Case No-- 65/10860 of 2021 - Complaint of report made on-----
Name and address of the complainant----- श्रीमान प्रदीप शर्मा नरसिंह-----

Name parentage caste and address of accused

शिवानी शर्मा सुमन 90 चण्डा नि 93415
8/10 ब्रिजवाड़ा नगर

The office complained of, and date of, its alleged commission- यह कि आप आरोपी/आरोपीगण ने दिनांक :- 22-4-18 को लगभग 7 बजे, स्थान :- श्रीमान प्रदीप शर्मा
श्रीमान प्रदीप शर्मा, अपने आधिपत्य के वाहन MP02 ML कर्मांक 0995 बिना
बिना/बिना वाहन चालन अनुज्ञापिका के चलाया।
और इस प्रकार आप आरोपी/आरोपीगण ने धारा 105 M.V. Act मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया है, जो मेरे संज्ञान में है।

तुम्हें उक्त अपराध करना स्वीकार है अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ?

अपराध स्वीकार

प्रदीप शर्मा

Sharma
22/05/18
शिवानी शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड

The plea of the accused and his examination 3.(if)

मुझे/हमें उक्त अपराध करने का तथ्य स्वेच्छापूर्वक स्वीकार है।

अपराध स्वीकार

प्रदीप शर्मा

Sharma
22/05/18
शिवानी शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला-भिण्ड

The office proved] if any] and in case under clause (d) clause (h) of clause (g) or subsection(i) of Section 260] the value of the property in respect of which the offence has been committed.

GRPJ 426-101-28M-11-96

-: निर्णय :-

(आज दिनांक :- ०५/०५/१८ २०१५ को घोषित)

- 1 - अभियुक्त/अभियुक्तगण दिनेश कुमार शर्मा ने ध 185 M.V. Act मोटर यान अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बिना किसी दवाब के स्वेच्छापूर्वक अपना अपराध करना स्वीकार किया है।
- 2 - अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छापूर्वक अपराध स्वीकारोक्ति के परिणाम स्वरूप उसे/उन्हें धारा 185 M.V. Act मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 3 - अभियुक्त/अभियुक्तगण दिनेश कुमार शर्मा को धार 185 M.V. Act मोटर यान अधिनियम के अपराध में दोषी पाकर 1000/- /-रुपये के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया जाता है।
- 4 - अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम कि जाने पर 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 5 - प्रकरण में जब्तशुदा सम्पत्ति मोटर वाहन क्रमांक MP07 MC 8995 उसके पंजीकृत स्वामी को प्रदान कर व्ययनित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

शिवानी शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
गोहद, जिला-भिण्ड

शिवानी शर्मा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
गोहद, जिला-भिण्ड